न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 135/2017 अपील (प्रार्थना पत्र दफा 5)

1. घनश्याम पिता स्व. मोहनलाल तिवाड़ी ब्राह्मण निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

बनाम

1. महेशचंद्र गोदपुत्र स्व. देवीलाल तिवाड़ी ब्राह्मण निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

– रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम

उपस्थित –
1. श्री बी.एल. बापना अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 26.02.2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर को बमामलें नामान्तरकरण सं. 3313 दिनांक 17.11.2006 के समर्थन में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण सं. 3313 निर्णित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी व उसकी माता श्रीमती अनोपदेवी को कोई नोटिस नहीं दिया और न ही सुनवायी का कोई अवसर दिया एवं न ही उक्त भूमि पर कब्जे बाबत् कोई जांच की जिससे अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण व उस पर पारित आदेश की जानकारी नही हो सकी । उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 1.11.2007 को हुई , जिस पर दिनांक 2.11.2007 को पटवारी हल्का के पास खाते की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर नकल दिनांक 1.12.2007 को प्राप्त हुयी । जिससे यह अपील मिलने जानकारी आदेश नामान्तरकरण व मिलने नकल से एक माह में पेश हैं और दिनांक 17.11.2006 से लगायत दिनांक 01.11.2017 व 1.12.2017 तक का समय कण्डोन अर्थात क्षम्य कराने का अधिकारी हैं, जिससे इस अपील को अंदर अवधि में पेश होना स्वीकृत कराया जाना आवश्यक हैं । अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 17.11.2006 से लगायत दिनांक 01.11.2017 व 01.12.2017 तक का समय कण्डोन कराया जाकर उक्त अपील को अन्दर अवधि में शुमार कराया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 14.12.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम में वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि नामान्तरकरण सं. 3313

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी व उसकी माता श्रीमती अनोपदेवी को कोई नोटिस नहीं दिया और न ही सुनवायी का कोई अवसर दिया एवं न ही उक्त भूमि पर कब्जे बाबत् कोई जांच की जिससे अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण व उस पर पारित आदेश की जानकारी नही हो सकी । उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 1.11.2007 को हुई , जिस पर दिनांक 2.11.2007 को पटवारी हल्का के पास खाते की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर नकल दिनांक 1.12.2007 को प्राप्त हुयी । जिससे यह अपील मिलने जानकारी आदेश नामान्तरकरण व मिलने नकल से एक माह में पेश हैं और दिनांक 17.11.2006 से लगायत दिनांक 01.11.2017 व 1.12.2017 तक का समय कण्डोन अर्थात क्षम्य कराने का अधिकारी हैं, जिससे इस अपील को अंदर अवधि में पेश होना स्वीकृत कराया जाना आवश्यक हैं । निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 17.11.2006 से लगायत दिनांक 01.11.2017 व 01.12.2017 तक का समय कण्डोन कराया जाकर उक्त अपील को अन्दर अवधि में शुमार कराया जावे । प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलार्थी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जो क्रमशः 2002 आर.बी.जे.108, 1998 आर.बी.जे.257, 2002 आर.बी.जे.304, 2002 आर.बी.जे.191, 2016 आर. बी.जे.679, 2002 आर.बी.जे.381 हैं।

विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम पर अपनी बहस में बताया कि नामान्तरकरण सं. 3313 अपीलाण्ट की जानकारी में ही निर्णित किया गया हैं। जिसका प्रथमदृष्टया प्रमाण यह हैं कि वादग्रस्त आराजी जो कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं. 01 के सामलाती थी , जिसका अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं. 01 की आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया गया । जिसका नामान्तरकरण सं. 3656 दिनांक 17.07.2009 को खोला गया , तत्पश्चात वादग्रस्त जमीन के संबंध में ही एक घोषणात्मक अनुतोष बाबत वादपत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के यहां दिनांक 21.03.2017 को पेश किया , जिसके प्रकरण सं. 70/2017 राजस्व वाद हैं । जिसमें कलम सं. 6 में नामान्तरण जैर बहस के जरिये जमीन रेस्पोडेण्ट सं. 01 के नाम पर रद्दोबदल कराने का तथ्य लिखा हैं । इस प्रकार अपीलाण्ट को उक्त वर्णित न्यायालय के दस्तावेज के अनुसार ही जानकारी वर्ष 2009 में सहमति से विभाजन कराने के आधार पर तथा दिनांक 21.03.2017 को वादपत्र प्रस्तुत करने के आधार पर थी, साथ ही अपीलाण्ट ने वर्ष 2010 में अपने हिस्से को पूर्ण जानकारी में एस बी बी जे जहाजपुर के यहां रहन रख ऋण प्राप्त किया। जिसका नामान्तरकरण सं. 3807 दिनांक 21.05.2007 को खोला गया । जिससे भी नामान्तरण जैर बहस की अपीलाण्ट को पूर्ण जानकारी थी । इसके अलावा भी अपीलाण्ट के हिस्से में आयी 1/2 हिस्से में से आंशिक भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अवाप्त की गई जिसका नामान्तरण 4837 दिनांक 5.8.2010 को खुला हैं एवं जिसका मुआवजा भी अपीलाण्ट ने प्राप्त किया हैं । जिससे अपीलाण्ट को नामान्तरण जैर बहस की पूर्ण जानकारी थी । उसके बावजूद भी न्यायालय के समक्ष इस आशय का झूठा आधार वर्णित करते हुए यह वर्णित किया कि नामान्तरण की जानकारी दिनांक 01.11.2017 को हुई हैं। अपीलाण्ट ने देरी का कोई संतोषजनक कारण दर्शित नहीं किया है तथा झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन हैं कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते हुए अपील को खारिज फरमायी जावे । रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र दफा 5 के खण्डन में विधिक दृष्टान्त पेश

किये जो क्रमशः 2017 आर.बी.जे.95 से 98, 2017(1) आर.आर.टी. 117, 2014(1) आर.आर.टी. 154 हैं ।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया । प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। ग्राम जहाजपुर के नामान्तरण सं. 3313 में मोहनलाल पिता रामचन्द्र ब्राह्मण सा.देह. की विरासत महेशचन्द्र , घनश्याम पुत्रगण , अनोप देवी बेवा के नाम पटवार हल्का जहाजपुर ने सजरा अंकित करते हुये नामान्तरण दिनांक 6.11.2006 को दायर किया किया, जिसकी जांच गिरदावर द्वारा दिनांक 10.11.2006 को की गयी । नामान्तरण को तहसीलदार जहाजपुर ने दिनांक 17.11.2006 को स्वीकृत किया हैं । वादग्रस्त आराजियात में से अनोप देवी बेवा मोहनलाल ब्राह्मण ने हक त्याग घनश्याम पिता मोहनलाल ब्राह्मण के पक्ष में किये जाने पर नामान्तरण सं. 3607 दिनांक 18.05.2009 को स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका हैं । वादग्रस्त आराजियात महेशचन्द्र , घनश्याम पिता मोहनलाल ब्राह्मण की संयुक्त खातेदारी होने पर धारा 53 आर.टी.ए. प्रार्थना पत्र तहसीलदार जहाजपुर के समक्ष प्रस्तुत करने पर विभाजन स्वीकार होने के आधार पर नामान्तरण सं. 3656 दिनांक 17.07.2009 को खातेदारान् के विभाजन से रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका हैं । घनश्याम पिता मोहनलाल ब्राह्मण ने अपनी आराजी को एस.बी.बी.जे. जहाजपुर में रहन दर्ज करायी , जिसका नामान्तरण सं. 3807 दिनांक 21.05.2010 से रहन का इन्द्राज हुआ । नामान्तरण सं. 4683 दिनांक 07.12.2015 से रहन मुक्त हुयी । घनश्याम पिता मोहनलाल ब्राह्मण की खातेदारी आराजी नं. 5229/1 रकबा 3.07 बीघा में से आराजी नं. 5229/4 रकबा 05 बिस्वा भूमि एन.एस.ए.आई. के नाम पर आवाप्ति से नामान्तरकरण सं 4837 दिनांक 5.8.2016 से दर्ज हुयी ।

इस प्रकार अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजियात के संबंध में रिकार्डेड जानकारी दिनांक 18.05.2009 को ही हो चुकी थी। अपीलार्थी का यह कथन गलत हैं कि नामान्तरकण सं. 3313 निर्णय दिनांक 17.06.2006 की जानकारी उसे दिनांक 01.11.201 को हुयी हैं ।

परिसीमा अधिनियम के परिपेक्ष्य में तहसीलदार जहाजपुर द्वारा नामान्तरकरण सं. 3313 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2016 के संबंध में अपीलार्थी द्वारा जो अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 11.12.2017 को पेश की गयी हैं, यद्यपि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अपील के साथ संलग्न किया गया हैं, परन्तु विलम्ब का एक एक दिन का कोई भी कारण अंकित नहीं किया गया हैं, जबकि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 17.11.2006 के संबंध में प्रथम बार जानकारी दिनांक 18.05.2009 को ही हो चुकी थी , तो फिर समय पर अपील पेश नहीं करने का अर्थात विलम्ब से अपील पेश करने का कोई भी कारण प्रार्थना पत्र दफा 5 में अंकित नहीं किया गया हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा कानून मियाद दिनांक 17.11.2006 से लगायत दिनांक 01.11.2017 व दिनांक 01.12.20 तक का समय कण्डोन अर्थात क्षम्य योग्य नहीं ठहरता हैं । अतएव –

आदेश

प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद का ग्राम जहाजपुर के नामान्तरकरण सं. 3313 निर्णय दिनांक 17.11.2006 के संबंध में प्रार्थी अपीलार्थी को प्रथम बार दिनांक 18.05.2009 को रिकार्डेड जानकारी होने पर भी उक्त नामान्तरकरण सं. 3313 के संबंध में जानकारी दिनांक 01.11.2017 को होना प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में गलत अंकित करना पाये जाने से प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद का खारिज किया जाता हैं।

प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद का खारिज हो जाने से अपीलार्थी की अपील ग्राम जहाजपुर के नामान्तरकरण सं. 3313 पर पारित आदेश दिनांक 17.11.2006 के संबंध में प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम भी खारिज की जाती हैं । निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/02/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा